



प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/530

दिनांक: -10/07/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (10) कम्पनियों का नाम **हरियाणा** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9141732	U72900HR2021PTC095945	सेजडॉग स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9097640	U63119HR2023PTC110527	पीएमसी भारत एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9097618	U74999HR2018PTC076881	युवएडवांस इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9049908	U85100HR2019PTC078493	एल.जे. हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
5	AA8719046	U92412HR2022PTC100690	व् २ म सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AA8648414	U15549HR2019PTC084098	इन्नोवे हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
7	AA8624162	U24297HR2013PTC049532	गेनीमेड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
8	AA8619855	U62099HR2023PTC114288	पुनाडी टेक प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड
9	AA8461350	U01409HR2017PTC069726	एग्रीन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
10	AA8287377	U74999HR2017PTC069364	टेंडर लीफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिकी
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

CBC 07123/11/0259/2425